अध्याय पंचम

शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय - पंचम

शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

सारांश किसी भी अध्याय को संक्षिप्त करने का प्रयास होता है जिसके द्वारा अध्याय को संक्षिप्त व सरल रूप में समझाया जा सके। इस अध्याय में लघुशोध का सारांश एवं अध्याय चार में दिये गये प्रदत्तों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अध्ययन के अंतर्गत संबंधित अध्ययन को विभिन्न क्षेत्रो में करने के लिये सुझाव भी देने का प्रयास किया गया है।

5.1 प्रस्तावना

किसी भी देश का विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है, इसलिये आज विश्व के समस्त देश शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान था कि, "आगामी 10 वर्षो में 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालकों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए।"

इन सुविधाओं के बावजूद भी बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई तक छोड़ देते हैं इन समस्याओं के गर्भ में छिपे अनेक कारणों में एक कारण चुस्त अनुशासन और दण्ड है। जो बच्चों की शिक्षा से वंचित करता है।

दण्ड के सभी रूप मानव अधिकार का बुनियादी उल्लंघन है। एक थप्पड़ सिर्फ थप्पड़ नहीं है वह बाल अधिकारों पर एक गंभीर चोंट है। कुछ शिक्षकों का मानना है कि - जब भी दण्ड का प्रयोग किया जाए, ऐच्छिक तथा व्यवस्थित ढंग से दुर्व्यव्हार को रोकने के लिये ही किया जाए। दण्ड जितना कम और हल्का हो उतना ही अच्छा है, किन्तु यह ऐसा अवश्य हो कि विद्यार्थियों को बुरा लगे और अवांछित व्यवहार को बदलने के लिये प्रेरित हो। कुछ विद्यार्थियों

का मानना भी यही है कि गलतियों व बुराईयों को रोकने के लिये दण्ड आवश्यक रूप से दिया जाये।

शिक्षा मनोविज्ञान, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, शिक्षा समितियाँ, गठित हुआ। राष्ट्रीय बाल अधिकार, शिक्षाविद्, शिक्षा आयोग और कानून सभी इस बात की जोरदार सिफारिश करते है कि बच्चों के लिये शारीरिक दण्ड अथवा सजा न दी जाए। बच्चों के लिये शारीरिक दण्ड पर प्रतिबंध के सिलसिले में सन् 2000 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला राज्यों की स्वतंत्रता, सम्मान और भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान करने की सुनिश्चितता का निर्देश देता है।

इन सिफारिशों व कानूनों के बावजूद भी शाला में दण्ड दिया जाता है। इस तथ्य को जानकारी के लिये शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का दण्ड के बारे में अभिप्राय प्राप्त करना अधिक आवश्यक है।

इस तथ्य को ध्यान में रखकर अध्ययनकर्ता ने अध्ययन हेतु इस समस्या का चयन किया।

5.2 समस्या कथन

दण्ड के प्रकार एवं शिक्षकों व विद्यार्थियों का दण्ड के प्रति अभिप्राय – एक अध्ययन

5.3 शोध में प्रयुक्त चर

जिस गुण, विशेषता या अवस्था का अध्ययन करना शोधकर्ता का उद्देश्य होता है उसे चर कहेंगे। शोध मुख्यतः दो प्रकार के चरों पर केन्द्रित रहता है। ये चर स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर है।

- स्वतंत्र चर –

1. लिंगगत – पुरूष – महिला, छात्र – छात्राऐं।
2. अवस्थिति – ग्रामीण, शहरी।
3. विद्यालय का प्रकार – शासकीय, अशासकीय।
4. शिक्षण का माध्यम – गुजराती, अंग्रेजी।
5. विषयगत

6. अनुभव

- आश्रित चर –

  दण्ड के बारे में अभिप्राय

5.4 शोध के उद्देश्य

उद्देश्य हमेशा शोध का मार्ग निर्देश करते है और शोध उद्देश्यों को हासि करने के लिए किया जाता है। इसलिए प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत दिये जा रहे 'दण्ड' के प्रकारों का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का दण्ड के बारे में अभिप्राय का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों का दण्ड के बारे में अभिप्राय का अध्ययन करना।
4. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के दण्ड के अभिप्राय में उनकी सामाजिक, व्यावसायिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का अध्ययन करना।
5. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के दण्ड के अभिप्राय में उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का अध्ययन करना।

5.5 शोध की परिकल्पना

प्रस्तुत अनुसंधान के शोध प्रश्न निम्नानुसार है

1. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में लिंग के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में स्थान के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में विद्यालयों के प्रकार के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में शिक्षा के माध्यम के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में अनुभव के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में विषय के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
7. माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
8. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रकार के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
9. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में माध्यम के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5.6 शोध का परिसीमन

प्रस्तुत लघुशोध प्रबंध का परिसीमन इस प्रकार है–

1. कक्षागत दण्ड संबंधी समस्याओं तक सीमित होगा।
2. ये अध्ययन गुजरात राज्य के सुरेन्द्रनगर जिले तक ही सीमित किया जायेगा।
3. वर्ष 2010–2011 तक की समयावधि में ये अध्ययन किया जायेगा।
4. आकड़ों के संगृहण हेतु माध्यमिक स्तर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का ही चयन किया जायेगा।
5. कक्षा नवमीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिप्राय तक सीमित किया जायेगा।
6. इस अध्ययन में 50 शिक्षकों एवं 200 विद्यार्थियों का चान किया जायेगा।
7. इस अध्ययन में स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया जायेगा।
8. इस अध्ययन मे वर्णनात्मक प्रविधि तथा प्रदत्त विश्लेषण में मध्यमान, प्रामाणिक विचलन, 'टी' परीक्षण, चरिता विश्लेषण का प्रयोग किया जायेगा।

5.7 न्यादर्श का चयन

किसी भी अनुसंधान कार्य में प्रतिदर्श का चुनाव एवं उसकी संख्या महत्वपूर्ण पहलु होता है। प्रस्तुत अध्ययन में समय सीमा का ध्यान रखते हुऐ प्रतिदर्श को उद्देश्यपूर्ण प्रकार से चयनित किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श के लिए गुजरात राज्य सुरेन्द्रनगर जिले के 2 ग्रामीण तथा 9 शहरी जिसमें से 7 शासकीय तथा 4 अशासकीय विद्यालयों को चुना गया। माध्यमिक विद्यालय के कक्षा नवमीं के 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया तथा 50 शिक्षकों का चुनाव किया गया।

5.8 प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत उपकरण में शोधकर्ता ने निम्नलिखित उपकरणो का प्रयोग किया

1. स्वनिर्मित अभिप्राय अनुसूची (शिक्षकों के लिए)
2. स्वनिर्मित अभिप्राय अनुसूची (विद्यार्थियों के लिए)
3. स्वनिर्मित अभिप्राय प्रश्नावली (विद्यार्थियों के लिए)

दण्ड के अभिप्राय की जानकारी के लिए इस अभिप्राय अनुसूचि के विद्यानों की तीन घटको में विभाजित किया गया सामाजिक दृष्टिकोण, नैतिक दृष्टिकोण, कानूनी दृष्टिकोण।

5.9 प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रदत्तों के संकलन हेतु शोधकर्ता ने निम्नलिखित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया।

1. मध्यमान (Mean)
2. मानक विचलन (Standard Deviation)
3. "t" मान ("t" Test)
4. चरिता विश्लेषण (Analysis of Variance)

5.10 प्रदत्तों का विश्लेषण

तालिका क्रमांक –5.1

प्राप्त परिणामों का निष्कर्ष

परिकल्पना क्रमांक	तलिका क्रमांक	प्रयुक्त सांख्यिकी	प्राप्त परिणाम	प्राप्त निष्कर्ष
1.	4.5	t मान	2.06	सार्थक है (S)*
2.	4.6	t मान	0.18	सार्थक नहीं है (NS)
3.	4.7	t मान	1.34	सार्थक नहीं है। (NS)
4.	4.8	t मान	0.08	सार्थक नहीं है। (NS)
5.	4.9	चरिता विश्लेषण	0.39	सार्थक नहीं है। (NS)
6.	4.10	चरिता विश्लेषण	0.02	सार्थक नहीं है। (NS)
7.	4.11	t मान	0.197	सार्थक नहीं है। (NS)
8.	4.12	t मान	1.85	सार्थक नहीं है। (NS)
9.	4.13	t मान	2.02	सार्थक है। (S)*

5.11 परिणाम

शोधकर्ता द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निम्न परिणाम प्राप्त हुये–

1. माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं में दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर पाया गया।
2. माध्यमिक विद्यालयों के ग्रामीण और शहरी शिक्षकों के दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
3. शासकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर नही है।
4. गुजराती और अंग्रेजी शिक्षा माध्यम के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षको के दण्ड के अभिप्राय में सार्थ अंतर नहीं प्राप्त हुआ।
5. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षको के अनुभव का दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर प्राप्त नही हुआ।

6. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षको के विषय और दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
7. माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों का लिंग के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर नही पाया गया।
8. माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रकार का दण्ड के अभिप्राय पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला।
9. माध्यमिक विद्यालय के कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों का माध्यम के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर पाया गया।

5.12 निष्कर्ष

इस शोधकार्य में शोधकर्ता ने कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षको का दण्ड के अभिप्राय के बारे में अध्ययन किया। शोधकर्ता द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये–

1. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों मे लिंग के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर प्राप्त हुआ।
2. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों मे स्थान के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर प्राप्त नहीं हुआ।
3. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों मे विद्यालय के प्रकार के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला।
4. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों मे शिक्षा के माध्यम के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर प्राप्त नहीं हुआ।
5. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों मे अनुभव के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर नहीं प्राप्त हुआ।
6. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों मे विषय के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
7. माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों में लिंग का दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर नहीं मिला।

8. माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों मे विद्यालयों के प्रकार और दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर प्राप्त नहीं हुआ।
9. माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों में शिक्षा के माध्यम के आधार पर दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर प्राप्त हुआ।

मध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में लिंग का दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर पाया गया। माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों में शिक्षा माध्यम का दण्ड के अभिप्राय में सार्थक अंतर पाया गया। इसलिए शोधकर्ता ने जो परिकल्पना बनायी वह अस्वीकृत होती है।

दण्ड के अभिप्राय पर विद्यालयों के प्रकार शिक्षकों के विषय, स्थान, शिक्षा का माध्यम और शिक्षकों के अनुभव का दण्ड के अभिप्राय पर कोई असर देखने को नहीं मिला तथा विद्यार्थियों का लिंग के आधार पर और विद्यालय के प्रकार के आधार पर सार्थक अंतर नहीं प्राप्त हुआ इसलिए शोधकर्ता ने जो परिकल्पना बनायी वह स्वीकृत होती है।

दण्ड के बारे में इन विषयों से जुड़ी हुई कुछ मान्यताऐं इस अनुसंधान में गलत साबित होती है। फिर भी सदियों से चला आ रहा दण्ड का यह स्वरूप बच्चों की उपलब्धि पर असर करता है। इसलिए शिक्षा समितियों, आयोगों एवं न्यायालय ने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए शिक्षकों और स्कूल प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है–

5.13 शोध सुझाव–

प्रस्तुत शोध के संदर्भ में कुछ सुझाव इस प्रकार है–

1. अभिभावकों और बच्चों को शारीरिक दण्ड के खिलाफ बिना किसी डर के बोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
2. अभियानों के जरिए प्रेरित बच्चों को शारीरिक दण्ड के खिलाफ बोलने के अधिकार के बारे में बताना इसे अधिकारियों के संज्ञान में लाने के प्रति जागरूकता पैदा करना।

3. स्कूल, होस्टल, किशोर न्यायगृह, शरणास्थल और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में एक फॉरम गठित करना जहाँ बच्चे अपने विचार रख सकें।
4. सभी स्कूलों में एक शिकायत पेटी लगाना।
5. हर माह में शिकायतों की समीक्षा और की गई कार्यवाई के लिए ग्रामीण शिक्षा समीति, स्कूल शिक्षा समीति और अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक।
6. पीटीए को बच्चों द्वारा की गई शिकायतों पर तुरंत कार्यवाई के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इससे पहले कि बच्चे फिर हिंसा का शिकार बने।
7. बच्चों द्वारा की गई शिकायतों की प्रतिक्रिया और उन पर की गई कार्यवाई तथा समीक्षा के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के शिक्षा विभागों को एक प्रक्रिया स्थापित करनी होगी। यदि वे सभी कदम उठाये जाते है तो स्कूल जाना आनंद –दायक अनुभव हो सकता है। इसके लिए शिक्षकों को डंडे का सहारा छोड़ कर बच्चों के साथ प्यार से रहना चाहिए।
8. शारीरिक दण्ड के मामले में शिक्षा विभाग बोर्ड बच्चों के साथ शारीरिक दण्ड पर सामाजिक लेखा परीक्षण का आयोजन करेगा।
9. हर एक जिले में बाल कल्याण समीति को बच्चों के कल्याण की रक्षा करने में सक्षम बनाने हेतु सहयोग दिया जाना चाहिए ओर उन्हें मजबूत किया जाना होगा।
10. बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित आयोग भी बच्चों को शारीरिक या मानसिक तौर पर प्रताड़ित करनेवाले शिक्षकों को दण्ड देने की सिफारिश कर चुका है।

5.14 भावी शोध हेतु सुझाव–

प्रस्तुत शोधकार्य की सीमांकन गुजरात राज्य के सुरेन्द्रनगर जिले के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालय के कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों तक सीमित और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों तक सीमित था, किन्तु भविष्य में यह सीमांकन विस्तारित करके सुरेन्द्रनगर जिले के उपरांत गुजरात राज्य तथा समग्र देश के विद्यार्थियों

तथा शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में लेकर पी.एच.डी. के लिये संशोधन हो सकते है।

इसके उपरांत भविष्य के लिए सुझाव इस प्रकार है –

1. बड़ा प्रतिदर्श लेकर इसी कार्य को उच्च स्तर पर किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत अध्ययन शिक्षक एवं विद्यार्थियों तक ही सीमित है। इसी तरह इनमें अभिभावकों को लेकर इनका अभिप्राय लिया जा सकता है।
3. प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के अभिप्रायों का अध्ययन।
4. प्रशिक्षत व अप्रशिक्षित शिक्षकों का दण्ड के प्रति अभिप्रायों का अध्ययन।
5. दण्ड का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अभिप्रायों का अध्ययन।
6. प्रसार माध्यमों के द्वारा दण्ड को रोकने की प्रक्रिया पर अध्ययन।
7. प्रस्तुत शोध में केवल परीक्षण को उपकरण के रूप में अपयोग किया गया है। इसमें साक्षात्कार तथा अवलोकन विधियों का भी सहयोग लिया जा सकता है।
8. विद्यार्थियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का दण्ड के अभिप्राय पर प्रभाव।
9. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की असफलता एवं शाला त्याग के मूल में दण्ड– एक अध्ययन।
10. लिंग के आधार पर दण्ड के अभिप्रायों का तुलनात्मक अध्ययन।
11. दण्डित घटनाओं पर अवलोकनात्मक एवं विश्लेष्णात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
12. शिक्षकों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति और योग्यता का दण्ड पर प्रभाव – एक अध्ययन।